छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011
(अग्रहायण-30, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02 एवं 04 से 08 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 03 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री राजू सिंह ठाकुर अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित एवं 29 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्रमांक 612) पर चर्चा के दौरान प्रश्नकर्ता सदस्य श्री नंदकुमार पटेल को नियम 52 के अधीन आधे घंटे की सूचना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। शासन का जवाब आने के बाद निर्णय लिया जायेगा।

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने-

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक से प्राप्त -

(1) वित्त लेखे खण्ड (1) तथा खण्ड (2) वर्ष 2010-2011 (छत्तीसगढ़ शासन) तथा

(2) विनियोग लेखे वर्ष 2010-2011 (छत्तीसगढ़ शासन),

(2) छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1373/एल8-9/2011/वित्त/बजट-4, दिनांक 13 सितम्बर, 2011,

(3) श्री रामविचार नेताम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (एफ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010,

(4) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण सूचना हेतु श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष का नाम पुकारा।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भारतीय राष्ट्रीय कांगेस दल के द्वारा बहिष्कार किए जाने संबंधी निर्णय के कारण ध्यानाकर्षण नहीं पढ़ने का उल्लेख किया।

माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मामला समाप्त हो जाने के कारण नेता प्रतिपक्ष से ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने का आग्रह किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन की उच्च परंपराओं एवं गरिमा का उल्लेख करते हुए प्रतिपक्ष के सदस्यों से चर्चा में भाग लेने का अनुरोध किया गया।

माननीय अध्यक्ष ने पुनः नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे से ध्यानाकर्षण की चर्चा में भाग लेने हेतु आग्रह किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रतिपक्ष एक मंत्री का बहिष्कार कर रहा है, तो सत्ता पक्ष के बाकी मंत्री भी जवाब नहीं देंगे कह सकते हैं, संबंधी कथन किया गया।

(अत्यधिक व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.14 बजे स्थगित की जाकर 12.33 बजे पुनः प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मांग करने पर श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा खेद व्यक्त किया गया।

(1) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य - सूचना नहीं पढ़ी गई।

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने बारदाना खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267 क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं -

(1) श्री परेश बागबाहरा

(2) श्री सौरभ सिंह

(3) श्री मोहम्मद अकबर

(4) श्री हृदयराम राठिया

(5) श्री देवजी पटेल

(6) श्री भोलाराम साहू

(7) श्री विरेन्द्र कुमार साहू

(8) श्री कुलदीप सिंह जुनेजा

(9) श्री रामदयाल उइके

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) चतुर्थ एवं समिति के पंचम प्रतिवेदन (द्वितीय विधान सभा) पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में पंचम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकायें पढ़ी हुई मानी गईं -

(1) श्री चैतराम साहू

(2) श्री अमितेश शुक्ल

(3) श्री डमरूधर पुजारी

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ेवर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011)

डॉ.रमन सिंह मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) पुरःस्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 27 सन् 2011)

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 27 सन् 2011) पुरःस्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचनाओं पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित किया:-

(1)	छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ेवर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011)	-	1 घंटा
(2)	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 27 सन् 2011)	-	45 मिनट

9. संकल्प

"यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण धान का समर्थन मूल्य रूपये 1980/- प्रति क्विंटल (मोटा धान) एवं रूपये 2000/- प्रति क्विंटल (पतला ग्रेड-ए) किया जाये।"

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.शक्राजीत नायक,

संकल्प पर चर्चा के दौरान डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य द्वारा संकल्प में संशोधन का अनुरोध किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष ने संशोधन का विषय मूल संकल्प के विषय से भिन्न होने एवं नियम 123 (2) के अंतर्गत तीन दिन पूर्व प्राप्त नहीं होने, अपितु आज 12.40 बजे प्राप्त होने के कारण संशोधन अस्वीकृत किया।

(चर्चा जारी)

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.शक्राजीत नायक, सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, लेखराम साहू, नंदकुमार साहू, रविन्द्र चौबे-नेता प्रतिपक्ष, परेश बागबाहरा, भीमा मंडावी, राजू सिंह ठाकुर, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री बद्रीधर दीवान,

10. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में माननीय सदस्यों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से तम्बाखू पर नियंत्रण विषय पर पावर प्वांइट प्रोजेक्ट कार्यक्रम, अपराह्न 1.30 बजे से 2.30 बजे के मध्य आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में तम्बाखू पर नियंत्रण के विशेष संदर्भ में एक गैर सरकारी संस्था जिसमें डॉ.उज्जवला तमेर, डॉ.पंकज चतुर्वेदी, प्रोफेसर टाटा मेमोरियल एवं हॉस्पिटल आदि के विशेषज्ञ सम्मिलित हैं, के द्वारा प्रकाश डाला जायेगा। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में आवश्यक रूप से उपस्थित होकर लाभान्वित होवें।

(सभापति महोदय (श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर) पीठासीन हुईं)

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य एवं श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा सभापति महोदय को प्रथम बार आसंदी पर विराजमान होने पर बधाई दी गई।

11. संकल्प (क्रमशः)

श्री दूजराम बौद्ध, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री नारायण चंदेल, नंदकुमार पटेल,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रमांक (7) पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, देवजी पटेल ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सायं 6.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 22 दिसम्बर, 2011 (पौष 1, शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा